FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

क ामीरीलाल बनाम सम्पतलाल वगै.

किस्म मुकदमा :—दावा अन्तर्गत धारा 188,92ए आरटी एक्ट मु.नं. एवं सन 34/19 व 2019/00071

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24.12.19	पत्रावली पे ा हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। प्रा.पत्र आदे ा 7 नियम 11 सीपीसी का अप्रार्थी/वादी द्वारा जबाब पे ा नहीं करने पर जबाब बंद किया जाता है। प्रा.पत्र आदे ा 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जाबब वादपत्र के वि ोश कथन में दर्ज कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी/अप्रार्थी ने रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व इकरारनामा के आधार पर बेदखली के विरूद्व व स्थायी निशेधाज्ञा का वाद पे ा किया है जो कि बार्ड बाई लॉ है तथा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा वादी/अप्रार्थी ने सिविल न्यायालय में भी इसी भूमि के संबध में स्थगन प्राप्त कर रखा है। अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में माननीय सिविल न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने की बात स्वीकार की परन्तु अपने द्वारा पे ा वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने का दावा किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेज एवं बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय का निश्कर्श है कि चूकिं मामला इकरारनामा की पालना का है तथा वादी ने माननीय सिविल न्यायालय से स्थगन आदे ा प्राप्त कर रखा है अतः वर्तमान में यह वादपत्र बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आता है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदे ा 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर यह वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	